

प्रपत्र-2.1

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान *Construction of Kurnu to Kumbhayan Motor Road*

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र - *उत्तराखण्ड*
- ii) जिला - *चमोली*
- iii) वन प्रभाग - *वकीनाच वन प्रभाग, मौपेश्वर,*
- iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) - *0.810 ha*
- v) वन की कानूनी स्थिति - *सिविल*
- vi) हरियाली का घनत्व - *0.2 ECO CLASS-V (Open Forest)*
- vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिवाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफओआरओएल - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए - *पुस्तक में संलग्न*
- viii) भूस्तरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। - *पुस्तक में संलग्न*
- ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी -
- x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव बार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए) - *नहीं*
- xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें। - *नहीं*
- xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा संक्षेप प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या - *नहीं*

8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्योरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। - *प्रस्तावित वन भूमि न्यूनतम है*
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। - *नहीं*

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। - लागू नहीं
 - ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। - लागू नहीं
 - iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। - स्थित पर स्थानों पर व्यापारिक
 - iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। - संलग्न
 - v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। - लागू नहीं
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) - संलग्न
- 12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल
- जिला का भौगोलिक क्षेत्र। - 803000 ha
- i. जिला का वन क्षेत्र। - ~~514792~~ 514792 ha
 - ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। - 218 मामलों, 826.453 ha
 - iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
 - (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि - लागू नहीं
 - (ख) वनेत्तर भूमि पर 30/06/2017 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
 - (क) वन भूमि पर 462.94 ha
 - (ख) वनेत्तर भूमि पर 497.57 ha
- 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। - जगह में संरक्षित की जाती है.

दिनांक 8/07/2017

स्थान जोधेश्वर

हस्ताक्षर

नाम (रतन प्रकाश)

सरकारी मोहर (प्रमुख वन प्रभाग अधिकारी)